



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180214

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30193 वर्ष 2026

जितेन्द्र

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : राम बदन मौर्य

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, संतोष कुमार गिरी

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बदन मौर्य, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार गिरी की ओर से संक्षिप्त धारक विद्वान अधिवक्ता सुश्री तनीज फातिमा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री इमरान खान को सुना गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 79 सन् 2026, धारा 103(1), 333, 115(2), 352 एवं 3(5) बी.एन.एस., थाना बिछवां, जनपद मैनपुरी में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त सुनील कुमार सहित दो अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है, किंतु सह-अभियुक्त सुनील कुमार मुख्य अभियुक्त है, जिसने मृतक को चोटें पहुंचाई थीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि समस्त तथ्यों पर विस्तारपूर्वक विचार करने के पश्चात सह-अभियुक्त रेखा देवी को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उसके जमानत आदेश की प्रति पेपर बुक के पृष्ठ 72 पर संलग्न है तथा गुण-दोष के आधार पर आवेदक का मामला उसके समान है।
5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 27.05.2026 से, अर्थात् तीन माह से अधिक समय से जेल में है।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।
8. तथापि, आवेदक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह-अभियुक्त सुनील कुमार सहित दो अन्य व्यक्तियों के साथ नामजद किया गया है, किंतु सह-अभियुक्त सुनील कुमार मुख्य अभियुक्त प्रतीत होता है, जिसने कथित रूप से मृतक को चोटें पहुंचाई थीं।
9. आगे, सह-अभियुक्त रेखा देवी, जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया था, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और गुण-दोष के आधार पर आवेदक का मामला उसके समान है।
10. आगे, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह दिनांक 27.05.2026 से, अर्थात् तीन माह से अधिक समय से जेल में है।
11. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।
12. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. आवेदक-जितेंद्र को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

14. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

31 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।